

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर Chhattisgarh State Legal Services Authority old High Court Building, Bilaspur -(Constituted Under the Legal Services Authority Act, 1987)



E-mail-cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com

ई-मेल से प्रेषित

कमांक .1264/ इन्टर्नशिप /2025

बिलासपुर, दिनांक : 0.2.../05/2025

प्रति.

श्रीमान् प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त छ०ग०.

विषय:- इंटर्निशप प्रोग्राम के अनुसार विधि छात्रों को इंटर्निशप कराये जाने बाबत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में <u>05</u> वर्षीय पाठ्यकम के चतुर्थ या अंतिम वर्ष में अध्यनरत विधि छात्र—छात्रा तथा <u>03</u> वर्षीय पाठ्यकम के द्वितीय या अंतिम वर्ष में अध्यनरत विधि छात्र—छात्रा , जो इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक हैं, के लिए दिनांक <u>17—06—2025</u> से दिनांक <u>07—07—2025</u> तक इंटर्नशीप कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें से <u>दिनांक 17—06—2025</u> से दिनांक <u>01—07—2025</u> तक इंटर्नशीप की कार्यवाही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विहित दिशा—निर्देश अनुसार की जानी है।

अतएव इंटर्निशप कार्यक्रम हेतु तैयार आवेदन का प्रारूप, दिशा निर्देश की प्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि इन्टर्निशप हेतु विधि छात्रों से आवेदन पत्र दिनांक 10/06/2025 तक स्वीकार करने के उपरांत इन्टर्निशप हेतु इच्छुक विधि छात्रों के आवेदनों में से स्विववेक एवं उपयुक्तता के आधार पर (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग से अधिकतम 30–30 (तीस–तीस)) तथा शेष अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 10–10 (दस–दस)) विधि छात्रों की सूची निर्धारित प्रोफार्मा 01 में तैयार कर एमएस वर्ड एवं पीडीएफ फार्मेट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिनांक 12/06/2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

यह भी अनुरोध है कि आवश्यकता होने पर अन्य विधि छात्रों के नाम भी उपयुक्त संख्या में मंगाए जा सकेंगे, अत: शेष बचे इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक/आवेदक विधि छात्रों की द्वितीय सूची भी निर्धारित प्रोफार्मा 01 में तैयार कर सुरक्षित रखने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रोफार्मा 01

(Fill the following table in English alphabet)

N	o.	Mr./ Miss/	Name of	Father / Husband	University or College	Course Name	Sem	ester & Year	Mobile Number
		Mrs./	Intern	Name	Name		Sem	Year	

तद्नुसार सूचना आपके जिले के विधि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को भी प्रेषित कराने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- इन्टर्निशिप कार्यक्रम विवरण सह दिशा निर्देश,
- 2. इन्टर्निशप हेतु इच्छुक विधि छात्रों के आवेदन का प्रारूप,

(माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(लीलाधर सम्प्रि यादव) सदस्य सचिव छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ०ग०

प्रतिलिपि :- पृ.क. / २.न.२./ इन्टर्नशिप /2025

बिलासपुर, दिनांक : _03.../05/2025

1. प्रभारी लिपिक, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बिलासपुर की वेबसाईट पर इन्टर्नशिप संबंधित आवेदन पत्र, दिशा निर्देश इत्यादि अपलोड कराए जाने हेर्नु ।

> (लीलाधर सम्य यादव) सदस्य सचिव छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ०ग०



CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR

INTERNSHIP PROGRAMME (17-06-2025 To 07-07-2025)

- The Programme would be a 21 days programme;
- B. The interns would be required to spend about 15 days with the District Legal Services Authority of their choice, be it their home district or district in which their law college falls or any other district of their choice:
- C. While interning for two weeks with the District Legal Services Authorities, the interns would be required to interact and
 - a) Visit a Central Jail or Sub Jail for one day in the District;
 - b) Visit an Observation Home/Juvenile Justice Board for one day;
 - c) Visit Child Welfare Committee and Children's Home for one day;
 - d) Visit a home for senior citizens for one day;
 - e) Visit a mental hospital/drug rehabilitation centre for one day;
 - f) Visit the District Courts including Magisterial, Sessions and Civil Courts for one day;
 - g) Attend a legal literacy/legal awareness programme in the district for one or two days;
 - Watch the mediation proceedings at Mediation/ADR centre and Lok Adalat/Permanent Lok Adalat for one day;
 - Visit a legal literacy club in a school/legal services clinic in a college or in community, etc. for one day;

Note:- If required, the above said visits may be clubbed and conducted on single day;

- j) Spend the remaining days in the office of the District Legal Services Authorities.
- D. While visiting the jail or observation homes, the interns would be required to interact with the inmates to find out if they are represented by a counsel whether private or legal services lawyers, find out the difficulties of inmates; look at issue of production before the Court/JJBs and observe the working of the legal services clinic established and, if any, the legal services lawyers and PLVs attached with the same and report to the Secretary, DLSA if any problem is noticed.
- E. While visiting the JJBs, CWCs, Courts, the interns would be required to observe the working of the said institutions and also look at the role of the legal services lawyers in these institutions.

- F. While visiting the Children's Home, Home for the senior citizens, mental hospital/rehabilitation centre, and the interns would be required to interact with the inmates, try to understand their problems and look at the conditions in which they stay and assess whether they need any kind of legal representation and make suitable report to the Secretary, DLSA.
- G. While visiting legal literacy club/legal services clinics, they would observe their working, provide necessary assistance and participate in the activities.
- H. While attending the legal awareness/legal literacy camps, the interns would actively facilitate the conduct of the programme in terms of distribution of pamphlets, legal literacy materials and would also be required to collect feedback from a sample audience.
- During the period with the DLSAs, the interns would be required to observe and understand the working of the 'front office', provision of legal aid to the legal aid beneficiaries, counseling, working of victim compensation scheme, administrative work etc.
- J. Interns would be required to maintain a daily diary of the work done by them and the same would be signed by the Secretary, DLSA with whom the intern is attached.
- K. After the period of 15 days, The Secretaries of DLSAs will submit a report to SLSA about the working of the interns with a final list of internees who successfully did 15 days of internship.
- L. After the period of 15 days, with the District Legal Services Authorities, the interns would come to the High Court Legal Services Committee, Bilaspur, they would be associated with the Chhattisgarh High Court Legal Services Committee to observe its working and for visiting institution for about 3 days. On the conclusion of 3rd day the interns would come to the CGSLSA office at Bilaspur and they would remain in SLSA Office for about 3 days during which they would make a small presentation of their observation while being associated with the DLSA's/ HCLSC and suggestion, if any. They would also be required to study NALSA & SLSAs Scheme and make small presentation in groups.
- M. At the end of the internship programme, a convocation programme would be held at CGSLSA, Bilaspurwhere certificates would be distributed to the law interns who successfully complete the programme and submitted their internship report.
- N. The interns would be required to make their own boarding and lodging arrangements as well as for local travel both within the district to which they are attached for the internship and within the CGSLSA Bilaspur.

SUMMER INTERNSHIP From 17-06-2025 to 07-07-2025



छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,



पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर E-mail- cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com

विधि छात्रों के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम दिनांक 17 जून 2025 से 07 जुलाई 2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश

- 01 पांच वर्षीय पाठ्यकम के लिए चौथे एवं अंतिम वर्ष के विधि छात्रों तथा तीन वर्षीय पाठ्यकम के द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के विधि छात्रों के लिए दिनांक 17/06/2025 से 07/07/2025 तक इन्टर्निशप कार्यकम आयोजित किया गया है। जिसके अंतर्गत् दिनांक 17/06/2025 से 01/07/2025 तक कुल 15 दिवस की इन्टर्निशप की कार्यवाही संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पन्न की जावेगी।
- 02 इन्टर्निशिप हेतु विधि छात्रों से आवेदन पत्र दिनांक 10/06/2025 तक ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 03 इन्टर्नशिप हेतु इच्छुक विधि छात्रों के नियत अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों में से स्विविवेक एवं उपयुक्तता के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग से 30—30 तथा शेष अन्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से 10—10 विधि छात्रों की सूची नीचे दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा 01 में एमएस वर्ड एवं पीडीएफ फार्मेट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिनांक 12/06/2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाएंगे । आवश्यकता होने पर अन्य विधि छात्रों के नाम भी उपयुक्त संख्या में मंगाए जा सकेंगे अत : शेष बचे आवेदक विधि छात्रों की द्वितीय सूची भी निर्धारित प्रोफार्मा 01 में तैयार रखेंगे।

प्रोफार्मा 01

(FILL THE FOLLOWING TABLE IN ENGLISH ALPHABET

S. No.	Mr./ Miss/	Name of	Father / Husband	University or College	Course Name		ester & ear	Mobile Number
	Mrs./	Intern	Name	Name		Sem	Year	

- 04 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 15 दिवस का इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले विधि छात्रों की सूची उपरोक्त निर्धारित प्रोफार्मा 01 में ही एमएस वर्ड एवं पीडीएफ फार्मेट में दिनांक 01/07/2025 को ही दोपहर 3.00 बजे तक भिजवाने का कष्ट करें तािक यह सूची अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर की ओर प्रेषित की जा सके।
- 05 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के विधि छात्रों को प्रदत्त दिशा निर्देश अनुसार इन्टर्निशप कराए जाएंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर बािक सभी दिवसों में विधि छात्रों की उपस्थित अनिवार्य रहेगी एवं तद्नुसार उपस्थित पत्रक तैयार किया जावे।

(लीलाघर साय यादव)

सदस्य सचिव छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ0ग0

विधि छात्रों के लिए इंटर्नशिप से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश

- पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए चौथे एवं अंतिम वर्ष के विधि छात्रों तथा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के विधि छात्रों के लिए दिनांक 17/06/2025 से 07/07/2025 तक इन्टर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- इन्टर्निशिप हेतु इच्छुक विधि छात्र निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र भरें तथा इंटर्निशिप आवेदन पत्र के साथ आपके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त Bonafide / recommendation letter आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- उ. इन्टर्निशप हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/06/2025 निर्धारित है। इंटर्निशप हेतु इच्छुक विधि छात्र दिनांक 10-06-2025 तक उचित माध्यम से एवं निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदनपत्र आवेदन पत्र संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जहाँ से विधि छात्र इंटर्निशप करने हेतु इच्छुक हैं, में स्वतः उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि 10/06/2025 के समापन उपरांत या ई-मेल से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- इंटर्निशिप प्रोग्राम की अवंधि <u>17-06-2025</u> से दिनांक <u>07-07-2025</u> में इन्टर्निशिप करने वाले विधि छात्रों की उपस्थिति निम्नानुसार रहेगी-
 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 17/06/2025 से दिनांक 01/07/2024, कुल 15 दिवस
 - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में दिनांक 02/07/2025 से 04/07/2025, कुल 03 दिवस
 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिनांक 05/07/2025 से 07/07/2025, कुल 03 दिवस
- इंटर्निशिप रिपोर्ट की हार्ड कॉपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में इंटर्निशिप कार्यक्रम समापन ,
 के समय जमा ली जावेगी।।
- 6. शासकीय अवकाश को छोड़कर बाकि सभी दिवसों में विधि छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और इसी उपस्थिति के आधार पर इन्टर्नशिप पूर्ण होने का प्रमाणपत्र वितरित किया जा सकेगा।

(लालाध्रश्याय यादव) सदस्य सचिव छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ०ग०



छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर Chhattisgarh State Legal Services Authority Old High Court Building, Bilaspur E-mail- cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com



INTERNSHIP APPLICATION FORM (17th June 2025 to 07th July 2025)

Passport Size Photo of Intern

1.	Name of any one District Legal Services Authority from where you want to do internship. (Please review the guidelines and program description)	
2	Name of the Intern (Mr./Miss/Mrs./Ms.): (In Block Letters)	
3.	Father's / Husband's Name (In Block Letters)	
4.	Residence Address (In Block Letters)	
5.	Mobile No.	
6.	E-mail address	
7.	Name of University/College with address &contact no. (In Block Letters)	
8.	Course Name	
9.	Year	
10.	Duration of Internship	

11. Educational Qualifications:

S.No.	Name of Board/University	Year of Passing	Pass% (Aggregate)

Why you want to do an internship with this Authority? (Kindly Mention in at least 10					
	•				
_					
-					
Spo	pecify Academic Achievements and Extra Curricular Activities (if any)				
	- Activities (If any)				
Wh	hother 1 1 1				
eri	ether already done Internship with CGSLSA or not? If yes, kindly mention the od of Internship.				
\4l	er information (if any)				

(Signature of the Intern)